



केन्द्रीय विद्यालय करौली (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकाय)

KENDRIYA VIDYALAYA KARAU LI (RAJ.)

(AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA)



राजकीय पीजी महाविद्यालय के पीछे, करौली (राज.) पिन- 322241
EHIND GOVERNMENT PG COLLEGE, KARAU LI (RAJ.) PIN- 322241

संपर्क सूत्र:- 07464-297022, 9414073043

Website- www.karauli.kvs.ac.in

Email address- kvkarauli@gmail.com

F.No. Canteen/1934/2023-24/KVKARAU LI/

Date: 28.06.2023

सेवा में,

..... (फर्म का नाम तथा पता)

विषय: टेंडर भेजने के सम्बन्ध में।


इस विद्यालय की आवश्यकता देखते हुए, इस विद्यालय में निम्नलिखित सामान के लिए निम्नानुसार एक कैंटीन शुरू की जानी है:

| क्र० सं० | सामान का नाम | मात्रा | कीमत (संबंधित फर्म द्वारा भरी जानी है) |
|----------|--------------|-----------|--|
| 01 | चाय | एक कप | |
| 02 | जलेबी | 100 ग्राम | |
| 03 | कचौड़ी | 01 नग | |
| 04 | समौसा | 01 नग | |

- उक्त सभी सामान केन्द्रीय विद्यालय करौली के परिसर में ही बनाया जायेगा।
- सभी सामान उच्च क्वालिटी का बनाने के साथ शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।
- कैंटीन में बिजली/पानी के खर्च के तौर पर रुपये 150/माह- विद्यालय में जमा कराने होंगे।
- कैंटीन के किराए के तौर पर रुपये 500/- प्रतिमाह के हिसाब से विद्यालय में जमा कराना होगा।
- कैंटीन का टेंडर वर्तमान में 6 माह के लिए होगा, जिसे बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- कैंटीन के टेंडर को केन्द्रीय विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय रद्द/बन्द किया जा सकता है।
- संबंधित फर्म द्वारा कैंटीन प्रतिदिन खोली जायेगी।

पता:

केन्द्रीय विद्यालय करौली,
केन्द्रीय विद्यालय मार्ग,
पुलिसलाईन/पी.जी. कॉलेज के पीछे,
करौली।


प्रिन्सिपल
केन्द्रीय विद्यालय करौली
Principal
Kendriya Vidyalaya
करौली (राज.)/Karauli (Raj.)

हस्ताक्षर.....
दुकान/कम्पनी/फर्म की मुहर

नोट:- 1. इस टेंडर को रुपये 100/- विद्यालय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है और यदि किसी फर्म द्वारा इसे हमारी वेबसाईट <https://www.karauli.kvs.ac.in> पर से डाउनलोड किया जाता है तो इसके साथ रुपये 100/- का डी.डी./बी.डी./पोस्टल आर्डर, Principal, Kendriya Vidyalaya Karauli के नाम पर करौली में देय संलग्न करें।

2. इस टेंडर के साथ फर्म रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा टेंडर रद्द कर दिया जायेगा।